न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 148/2007
CIS No. :— TS/148/2007
CNR No. :— BRWC22–000012–2007

सैयद एजाज बनाम् **नगीना शर्मा एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
18.04.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र दिनांक 05.12.2019 एवं आपत्ति दिनांक 09.01.2020 पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख आदेशार्थ नियत है। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—05.12.2019 वादी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांक 05.12.2019 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मुकदमा में दिनांक 24.09.2008 को वादी द्वारा फ्री साबुत के साथ असल अपंजीकृत माहादानामा दिनांकित 25.01.2005 फाइल में सुरक्षित रखकर दाखिल किया गया था। दिनांक 23.10.2010 को वादी द्वारा अभिलेख के मुआयना के क्रम में देखा कि उसके द्वारा दाखिल असल माहादानामा अभिलेख पर नहीं है। उक्त तिथि को ही वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके न्यायालय से अनुरोध किया कि कार्यालय को निर्देश दिया जाय कि असल माहादानामा खोजकर अभिलेख के साथ संलग्न करें। काफी खोजबीन के पश्चात असल माहादानामा पुन: अभिलेख पर आया जिसको फाइल में सुरक्षित रखकर अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। दिनांक 18.03.2013 को प्रस्तुत वाद में वादी के जिरह के दौरान जब माहादानामा की खोज की गयी तब पाया गया कि फाइल अभिलेख पर है परन्तु उसमें रखा असल माहादानामा गायब है। दिनांक 06.08.2011 के आदेश फलक से यह स्पष्ट है कि असल माहादानामा अभिलेख पर फाइल के साथ मौजुद था। काफी खोजबीन के पश्चात असल माहादानामा नहीं मिलने पर वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र के साथ असल माहादानामा की छायाप्रति दाखिल करके श्रीमान से अनुरोध किया कि	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 148/2007
CIS No. :— TS/148/2007
CNR No. :— BRWC22–000012–2007

सैयद एजाज बनाम् **नगीना शर्मा एवं अन्य**

लगातार **18.04.2022**	असल माहादानामा की छायाप्रति को रिकन्सट्रक्ट किया जाय। जिसके संबंध में श्रीमान द्वारा माननीय जिला जज पश्चिम चम्पारण, बेतिया से निर्देश मांगा गया। इसके संबंध में दिनांक 24.10.2019 को श्रीमान को माननीय जिला जज का निर्देश प्राप्त हो चुका है जो अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी का वाद का आधार अपंजीकृत माहादानामा दिनांकित 25.01.2005 है। उक्त असल माहादानामा की छायाप्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल किया जा रहा है जिसको माननीय जिला जज पश्चिम चम्पारण, बेतिया के निर्देश के आलोक में असल माहादानामा की छायाप्रति को मूल के स्थान पर रिकन्सट्रक्ट करने का आदेश दिया जाय जिससे वादी को न्याय मिल सके। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दिनांक 09.01.2020 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि रिकन्सट्रक्शन उन्हीं दस्तावेजो का किया जाता है जो या तो सच्ची प्रति हो या संबंधित विभाग से सत्यापित की गयी हो। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनिबंधित माहादानामा दस्तावेज की छायाप्रति को रिकन्सट्रक्ट किया जाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 द्वितियक साक्ष्य जो दस्तावेजों से संबंधित है को स्पष्ट करता है, जो फोटो कॉपी चाहे वह निबंधित दस्तावेज का हो या अनिबंधित दस्तावेज का हो उसे साक्ष्य में ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता है। प्रतिवादी के द्वारा अनिबंधित माहादानामा वादी के हक में लिखने से पूर्णत: इंकार किया गया है। वादी द्वारा जाल फरेब करके फर्जी माहादानामा तैयार करवाया गया है। ऐसी स्थिति में आपत्ति के आधार पर वादी के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की याचना की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 148/2007
CIS No. :— TS/148/2007
CNR No. :— BRWC22–000012–2007

सैयद एजाज बनाम् **नगीना शर्मा एवं अन्य**

लगातार **18.04.2022**	प्रतिवादी के विरूद्ध संविदा के विशिष्ट अनुतोष के अनुपालन हेतु दाखिल किया गया है। अपंजीकृत माहादानामा वादी के वाद का मुख्य आधार है। असल अपंजीकृत माहादानामा दस्तावेज अभिलेख से गायब हुआ है। अतएव ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के सामान्य आदेश 270/2019 दिनांकित 24.10.2019 के आलोक में अपंजीकृत माहादानामा की छायाप्रति को असल अपंजीकृत माहादानामा के स्थान पर रिकन्सट्रक्ट किया जाता है। आपत्ति दिनांक 09.01.2020 तदनुसार निस्तारित की जाती है। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक—10.05.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	